

मेसर्स यूनिस्टार बायोटेक लि०, श्री दीनानाथ सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री रमेश प्रसाद यादव, मेसर्स कात्यायनी कंस्ट्रक्शंस प्रा० लि०, मेसर्स पवन तनय कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, मेसर्स साहबाद कंस्ट्रक्शन एलएलपी, मेसर्स बघीरा बिल्डर्स, श्री अजय कुमार, मेसर्स राधारमण कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग प्रा० लि० द्वारा भोजपुर जिला, अंचल-सहार एवं तरारी के सोन नदी पर सोन घाट-63, सोन घाट-64, सोन घाट-65, सोन घाट-66, सोन घाट-67, सोन घाट-68, सोन घाट-69, सोन घाट-70, सोन घाट-71, सोन घाट-72 एवं सोन घाट-73 से बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक: 28.09.2020 को तरारी प्रखण्ड सभागार, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक सुनवाई का वृत्त।

पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या-SIA/1(a)/1075/2020, दिनांक 22.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1018/2020, दिनांक 21.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1019/2020, दिनांक 21.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1170/2020, दिनांक 24.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1076/2020, दिनांक 22.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1020/2020, दिनांक 21.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1077/2020, दिनांक 22.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1078/2020, दिनांक 22.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1166/2020, दिनांक 24.07.2020, पत्र संख्या-SIA/1(a)/1021/2020, दिनांक 21.07.2020 एवं पत्र संख्या-SIA/1(a)/1022/2020, दिनांक 21.07.2020 के आलोक में श्री कुमार मंगलम, अपर समाहर्ता (राजस्व), भोजपुर (जिलाधिकारी भोजपुर द्वारा मनोनीत) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद द्वारा दिनांक: 29.09.2020 को संदेश प्रखण्ड सभागार, जिला-भोजपुर में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

#### उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना पर्सद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा टाइम्स ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान टाइम्स, दैनिक भास्कर एवं आज के माध्यम से दिनांक: 23.08.2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी। लोक सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद पटना द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थिति जन समुदाय एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारी का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के तहत इकाईयों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला।

लोक सुनवाई कार्यक्रम में अध्यक्ष श्री कुमार मंगलम, अपर समाहर्ता (राजस्व), भोजपुर के अनुमति से परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुन्ना कुमार शर्मा ने इकाई की उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट इन्भायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि प्रस्तावित खनन क्षेत्र में नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित नहीं किया जाएगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर गहराई तक या भूजल स्तर से उपर तक किया जायेगा। धूल को उड़ने से बचाने के उपाय किये जायेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा। ध्यान रखा जायेगा कि गीली बालू का परिवहन हो अथवा तिरपाल से ढक कर बालू का परिवहन हो ताकि बालू को उड़ने या गिरने से रोका जा सके। वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हॉर्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पी.यू.सी. प्राप्त वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब हो चुके ट्रकों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। नदी के किनारों और सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य किया जाएगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री सतीश कुमार सिंह, पिता—श्री वेदन सिंह, ग्राम—बिहटा, जिला—भोजपुर द्वारा सुझाव दिया गया कि कॉरपोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंटल रेस्ट्रॉन्सिबिलिटी के तहत स्कूल में बच्चों के लिए पीने का पानी हेतु आर.ओ. वाटर प्लांट लगाया जाय तथा पूछा गया कि बालू परिवहन के दौरान सड़क के किनारे खेतों में बालू उड़ कर फसल नष्ट होने से बचाने के लिए क्या किया जायेगा ?


इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान सड़क पर दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा। तिरपाल ढक कर ही वाहनों का परिचालन किया जायेगा तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा।


2. श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे द्वारा परियोजना का अनुमोदन किया गया।
3. श्री अवनीश कुमार, पिता— श्री जी.सी. मुनी राय, ग्राम—फतेहपुर, जिला—भोजपुर द्वारा पूछा गया कि बालू परिवहन के दौरान अगल-बगल के पेड़ पर पड़ने वाले धूल-कण से बचाव के लिए क्या किया जायेगा, काम करने वाले मजदूरों के लिए क्या क्या सुविधा दिया जायेगा ?


इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि तिरपाल ढक कर वाहन का परिचालन किया जायेगा एवं धूल-कण उड़ने से बचाव के लिए बालू परिवहन के दौरान सड़क पर दिन में दो बार पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा। मजदूरों के स्वास्थ्य के देख-भाल हेतु स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा रहेगी। आवश्यकता होने पर स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जायेगा। परियोजना स्थल पर श्रमिकों के लिए अस्थायी विश्राम एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जायेगी। इसके अलावा स्थल पर फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध कराया जाएगा। कर्मियों के लिए स्वच्छता सुविधा यानी सेप्टिक टैंक या सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू खनन परियोजना के संचालन से जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण की समस्या होगी, जिसकी समाधान के लिए सड़क पर दो बार से अधिक आवश्यकतानुसार जल का छिड़काव किया जाय। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु बिना वजह हॉर्न का उपयोग नहीं हो। कॉरपोरेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंटल रेस्ट्रॉन्सिबिलिटी के तहत कुल परियोजना लागत का दो प्रतिशत राशि का सदुपयोग हो जनहित में किया जाय इस पर भी आपलोग अपना सुझाव दें।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के पश्चात् जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इकाई के खनन परियोजना के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गयी तथा लोक सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गयी।

  
(मनोरंजन कुमार सिंह)  
सहायक वैज्ञानिक पदा०  
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद, पटना

  
(सैन कुमार)  
सहायक पर्या० अभि०  
बि०रा०प्र०नि०प०र्षद, पटना

  
(कुमार मंगलम )  
अपर समाहर्ता (राजस्व),  
भोजपुर

उपस्थिति सूची

मेसर्स यूनिस्टार बायोटेक लि०, श्री दीनानाथ सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री रमेश प्रसाद यादव, मेसर्स कात्यायनी कंस्ट्रक्शंस प्रा० लि०, मेसर्स पवन तनय कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०, मेसर्स साहबाद कंस्ट्रक्शन एलएलपी, मेसर्स बघीरा बिल्डर्स, श्री अजय कुमार, मेसर्स राधारमण कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग प्रा० लि० द्वारा भोजपुर जिला, अंचल-सहार एवं तरारी के सोन नदी पर सोन घाट- 63, सोन घाट- 64, सोन घाट- 65, सोन घाट- 66, सोन घाट- 67, सोन घाट- 68, सोन घाट- 69, सोन घाट- 70, सोन घाट- 71, सोन घाट- 72 एवं सोन घाट- 73 से बालू खनन करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 28.09.2020 (सोमवार) को 11:00 बजे पूर्वाह्न में तरारी प्रखण्ड सभागार, जिला-भोजपुर में आयोजित लोक-सुनवाई में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	कुंवर मंगलम्	शिवपुरमवाहली, भोजपुर	
2.	प्रमोद कुमार	सहायक विदेशीकरण योजना	
3.	रमेश कुमार	रा० पो० अमरियावाही वि० रा० रा० निवासी	
4.			
5.	pawan tanay Const Pvt. LTD	A/18 Abhiyantanagar Ramnagar, Ashiana Nagar Patna	
6.	UNISTAR BIOTECH LTD	H.NO-6/2/27 SEC-6, VAISHALI JANSHYABAAD	CHANDRA
7.	Dharmendra Kumar	Vill-NIZZAMUDDINPUR P.S.P.O + DIST - JEHANABAD 80447	
8.	विजेन्द्र कुमार	रा० पो० वाराणसी रोड पर मनोरमापुर	
9.	Ajay Kumar	वासीरावाही, अमरियावाही के समीप पड़वली नगर, भोजपुर	
10.	अमित कुमार	रा० पो० जीवरायत रोड अमरियावाही-पटना	
11.	दीना नाथ सिंह	रा० पो० कुराही, अमरियावाही गिहरी, जीला - भोजपुर	
12.	Subodh Kumar	श्री. Khokhi Post, HISSANPUR P.S. ROUET	
13.	Intan Singh Pandey	Vill - P.S. - Jambhaur	
14.	Pawan Singh	मुन्तपुर - मुन्तपुर	
15.	मेसर्स बघीरा बिल्डर्स	रायबरेली उत्तर प्रदेश	
16.			

